

# असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद

## आई0सी0यू0 के उपकरण क्रय संबंधी अल्पकालीन निविदा सूचना

एन0टी0पी0सी0 लि0 द्वारा प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत सदर अस्पताल, औरंगाबाद में आई0सी0यू0 उपकरण के क्रय हेतु निर्माता कम्पनी या उनके प्राधिकृत एजेन्सी से निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्माता कम्पनी या उनके प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा दिनांक 18.05.17 को अपराहन 05:00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद कार्यालय (सदर अस्पताल परिसर, औरंगाबाद) में निविदा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार समर्पित करना होगा। प्राप्त निविदा को दिनांक 19.05.17 को पूर्वाहन 11:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। निविदा पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद को सुरक्षित रहेगा।

निविदा की नियम एवं शर्तें तथा उपकरणों का सूची/विशिष्टता औरंगाबाद के वेबसाईट <http://aurangabad.bih.nic.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। उपकरणों की सूची/विशिष्टता के आधार पर ही दर अंकित करना अनिवार्य होगा।

### निविदा की न्यूनतम मानक अर्हता (तकनीकी भाग)

1. प्रतिष्ठान/एजेन्सी को वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद को भुगतये रूपये राशि रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. प्रतिष्ठान/एजेन्सी को अपने प्रोपराईटर/फर्म का पैन संख्या की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को गत तीन वर्षों का प्रोपराईटर/फर्म का इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को गत तीन वर्षों का अर्थात् 31.03.16 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन का किसी Chartered Accountant के द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता का विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसतन टर्न ओवर कम से कम एक करोड़ होना चाहिए।
7. निविदादाता को सरकारी संस्थानों में सामग्री आपूर्ति हेतु अनुभव होना चाहिए एवं इस हेतु कार्यदेश की छायाप्रति तथा आपूर्ति पश्चात् भुगतान संबंधित साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को Non Conviction एवं किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने के आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. उपकरण/सामग्री प्रतिष्ठित कम्पनी की होनी चाहिए तथा सामग्री/उपकरण CE/FDA(US) प्रमाणित होनी चाहिए।

**वित्तीय भाग :** निविदादाता को निविदा के वित्तीय भाग में निविदा के साथ संलग्न उपकरण के अनुसार नीचे अंकित प्रपत्र में प्रति इकाई सभी शुल्क सहित दर अंकित करना होगा। (उपस्कर/उपकरण का नाम/विशिष्टता असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार ही दिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा।)

क्र० सं०	उपस्कर/उपकरण का नाम	कम्पनी का नाम	दर प्रति इकाई (सभी कर सहित)

असैनिक शल्य चिकित्सक  
-सह-

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद

